



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 452

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

S.O-50- Dated- 29th June, 2017-- In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 10 of the said Act.

Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the States specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, he shall be eligible to exercise the above option if his aggregate turnover in preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees.

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

SL. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing Cocoa.
2	2106 90 20	Pan Masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes.

Explanation -

- (1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
 - (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification will be deemed to be effective from 25th June, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2017

एस० ओ०-50- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का झारखण्ड अधिनियम 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, वह व्यक्ति राज्य कर के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के प्रावधान के अन्तर्गत देय कर को संगणित कर भुगतान करने का पात्र होगा ।

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति जो मालों एवं सेवाओं का करदेय आपूर्ति वैसे राज्यों से जो कि संविधान के अनुच्छेद 276। की कंडिका-4 की उपकंडिका (g) में विनिर्दिष्ट राज्य के अन्तर्गत आता हो एवं उनके पुरवर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो उनको उपर्युक्त विकल्प को प्रयुक्त करने की पात्रता होगी ।

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद एवं उपशीर्ष एवं शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

स्पष्टीकरण –

- (1) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 25 जून, 2017 से प्रभावी होगी।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।
